राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1616/2017/जयपुर.
2. अपील संख्या – 1617/2017/जयपुर.
3. अपील संख्या – 1618/2017/जयपुर.
4. अपील संख्या – 1619/2017/जयपुर.
5. अपील संख्या – 1620/2017/जयपुर.

सहायक आयुक्त, वृत–बी, वाणिज्यिक कर, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड (पी.जी.एम.टी.डी.जयपुर)
एम. आई. रोड़, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 05/06/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये पांच अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा के अपील संख्या क्रमशः 275, 276, 277, 278 व 279/अ.प्रा.–II/आरएसटी/आरवीएटी/2016–17 में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 01.05.2017 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वृत–बी, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों क्रमशः वर्ष 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2008–09 व 2009–10 के लिये पारित किये गये पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.06.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलों को स्वीकार किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

2. पाँचों अपीलों के तथ्य एवं पक्षकार समान होने से पाँचों प्रकरणों का निस्तारण संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

लगातार.....2

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी भारत सरकार का एक उपक्रम है जो Voice & Data को अपने नेटवर्क के जरिये Subscribers को transmit करने का कार्य करता है। Data Transmission के कार्य के लिये विभिन्न तरह के माध्यम प्रयोग में लाये जाते हैं जिसमें केबल सिस्टम, माइक्रोवेव सिस्टम के उपयोग के साथ विभिन्न Network equipments प्रयुक्त होते हैं।

4. तकनीकी विकास के साथ Telecommunication Services को बेहतर क्षमता एवं बेहतर गति के लिये Optical technology कार्य में लाया जाना प्रारम्भ हुआ है जिसके लिये Optical Fiber Cable (OFC) कार्य में लाया जाना प्रारम्भ किया गया है जिसके जरिये वृहद Bandwidth के साथ बड़े स्तर पर Data and Voice Transmission प्रकाश (Light) की स्पीड से किया जा सकता है। OFC के जरिये Signals के Transmission के लिये जो तकनीक काम में लायी जाती है उसमें Electrical signals को optical electromagnetics signals में परिवर्तित किया जाता है जो OFC के जरिये आगे संचारित होते हैं। इस कार्य के लिये कई तरह के उपकरणों का भी उपयोग किया जाता है। इस तरह Signal के Transmission के लिये BSNL द्वारा OFC का उपयोग प्रारम्भ किया गया। उक्त विवादित प्रकरण में जांच अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अवधारणा प्रस्तुत की गई है कि Subscribers के Data के Transmission के लिये BSNL द्वारा जिस तकनीक का उपयोग किया जाता है उसमें light energy उत्पन्न होती है एवं इस light energy के जरिये ही Data Transmission किया जाता है इस आधार पर यह निर्णय दिया गया कि BSNL द्वारा Light energy का विक्रय किया जाता है तथा light energy एक वस्तु होने से इसके लिये subscriber से प्राप्त राशि light energy का विक्रय मूल्य है। फलतः BSNL द्वारा की गई प्राप्तियों को Artificially Created Light Energy (ACLE) की बिक्रय राशि की प्राप्तियां मानते हुए इन प्राप्तियों पर कर, ब्याज एवं इसे करापवंचन का कृत्य मानते हुए वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 29.6.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलें, अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वीकार की गईं एवं समस्त कर निर्धारण आदेशों को अपास्त किया गया, जिसके विरूद्ध राजस्व/कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

5. प्रकरणों में सृजित मांग का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	अपील संख्या	क.नि.वर्ष	आरोपित		
			कर	ब्याज	शास्ति
1.	1616/2017	2005–06	65,79,879	37,50,531	1,31,59,758
2.	1617/2017	2006–07	1,36,68,899	62,86,005	2,79,37,798
3.	1618/2017	2007–08	2,01,40,142	66,46,247	4,02,80,284
4.	1619/2017	2008–09	3,87,52,715	81,38,070	7,75,05,430
5.	1620/2017	2009–10	36,07,013	3,24,631	72,14,026

लगातार.....3

6. राजस्व की ओर से प्रस्तुत किये गये लिखित अपील आधारों को दोहराते हुए विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपने Subscribers को Data Transfer करने के लिये OFC Telecom कार्य में ACLE की आवश्यकता होती है अतः Data Transfer कार्य में ACLE का विक्रय Subscribers को होता है। आदेश में यह विवेचन किया गया है कि Light energy राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 2(20) एवं वेट अधिनियम की धारा 2(15) में **'गुड्स'** की परिभाषा में सम्मिलित होती है एवं राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 2(38) एवं वेट अधिनियम की धारा 2(35) में ACLE का अन्तरण **'विक्रय'** की परिभाषा में सम्मिलित होने से **'माल'** के रूप में इस पर कर उद्ग्रहणीय है। अतः BSNL द्वारा की गई प्राप्तियों पर आरोपित किया गया कर विधिसम्मत है। इसी तरह देय कर निर्धारित अवधि में जमा नहीं होने से विलम्ब के आधार पर ब्याज एवं विक्रय प्राप्तियों को स्वयं द्वारा घोषित नहीं करने से करापवचंन का कृत्य होने से शास्ति का आरोपण भी विधिसम्मत है जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अविधिक रूप से अपास्त किया गया है।

7. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आधारों को पुनः दोहराते हुए कथन किया कि For carrying the data from one place to another in the OFC telecom work, light carrier (ACLE) was required. The assessee created light energy in the OFC network from the electric energy, with the sole intention of transferring the data of customers from one place to another, at the speed of light. There is direct relationship between the quantity of data transferred and quantum of light energy used. Customers are paying consideration according to the quantity of the data transferred. The light energy being covered under the definition of "goods" under sub-section (20) of section 2 and "sale" under sub-section (38) of section 2 of the Rajasthan Sales Tax Act, 1994, the turnover of such light energy was exigible to tax under the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003. The assessee did not disclose the turnover of such light energy. उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश अपास्त करते हुए राजस्व की अपीलें स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

8. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक श्री विवेक सिंघल द्वारा कथन किया गया कि भारत सरकार के उक्त उपक्रम BSNL के विरूद्ध जो कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है वह कर्नाटक राज्य में प्रत्यर्थी के मामले में ही पारित किये गये आदेश की प्रतिलिपि मात्र है। उन्होंने उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में जाहिर किया कि कर्नाटक राज्य में वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा

लगातार.....4

इसी विवादित आधार पर Data transmission पर करदेयता मानते हुए कर एवं ब्याज की मांग सृजित की गई थी। कर्नाटक के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किये गये आदेश का अनुसरण करते हुए ये विवादित आदेश कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किये गये हैं एवं विवादित कर निर्धारण आदेशों के साथ में जो एनेक्श्चर लगाये गये हैं, वे कर्नाटक के कर निर्धारण आदेश में लगाये गये दस्तावेजों की ही प्रतियां हैं। कथन किया कि कर्नाटक के विवादित कर निर्धारण आदेशों के विरूद्ध उक्त प्रत्यर्थी एवं अन्य Data Providers भारती एयरटेल एवं टाटा टेली सर्विसेज द्वारा माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपील व रिट पिटिशन प्रस्तुत की गई थी जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया गया है कि उक्त Light energy भारतीय संविधान की शिड्यूल–VII की सूची–II की प्रविष्ठि संख्या 54 के तहत वस्तु की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होती है एवं Data Transfer का कार्य मात्र सेवा का कार्य है जिस पर विक्रय कर आरोपित किये जाने का क्षेत्राधिकार राज्य का नहीं है। विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय का यह आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रत्यर्थी के मामले में ही किये गये निर्णय **(2006) 3 एस.सी.सी. 01** के आधार पर किया गया है। यह भी कथन किया कि माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी की याचिका के निस्तारण आदेश में ऐसे प्रकरण में माननीय न्यायालयों के आदेश की पालना नहीं करने की टिप्पणी के साथ राजस्व के विरूद्ध एक लाख रूपये की Costs भी लगाई गई थी।

9. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का पुनः समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के आलोक में जो आदेश पारित किया है उसमें कोई त्रुटि नहीं है क्योंकि ACLE को इन निर्णयों में Goods नहीं माना गया है तथा Data Transmission के कार्य को सेवा (Service) माना गया है जिस पर राज्यों का क्षेत्राधिकार नहीं है।

10. उक्त कथनों के साथ विद्वान अभिभाषक ने राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा **अपील संख्या 1227/2011/जयपुर वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 06.09.2017** का हवाला देते हुए कथन किया कि माननीय कर बोर्ड द्वारा इसी बिन्दु पर राजस्व की अपीलें अस्वीकार कर दी है अतः स्थापित विधि अनुसार उक्त अपीलें अस्वीकार की जावें।

लगातार.....5

11. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा कर निर्धारण आदेश एवं अपीलीय आदेश का अवलोकन किया गया एवं कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भी परिशीलन किया गया।

12. हस्तगत प्रकरण में विवाद का एकमात्र बिन्दु यह था कि Telecommunication services में OFC के जरिये Data Transmission करते वक्त जो light energy create होती है जिसे ACLE कहा गया है वह एक "वस्तु" की श्रेणी में सम्मिलित योग्य है अथवा नहीं एवं क्या इस Light energy का विक्रय किया जाता है या नहीं तथा Data Transmission का कार्य मात्र सेवा है अथवा "वस्तु" हैं।

13. उक्त अपीलाधीन प्रकरणों के समान ही कर्नाटक राज्य में भारती एयरटेल लिमिटेड एवं टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड तथा उक्त प्रत्यर्थी BSNL के विरूद्ध इसी बिन्दु पर कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए ACLE को वस्तु मानकर कर का आरोपण किया गया था जिसके विरूद्ध प्रस्तुत **अपील संख्या 530—541/2010 व 654/2011 रिट पिटिशन संख्या 2015—2065/2011** में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा **निर्णय दिनांक 25.02.2011** को दिया जाकर यह निर्णीत किया जा चुका है कि Telecommunication services में Data Transmission के लिये उत्पन्न Light energy, Telecommunication services के लिये एक carrier का काम करती है जो केवल 'सेवा' प्रदान करने का ही कार्य है जो 'वस्तु (Goods)' की परिभाषा में सम्मिलित योग्य नहीं है।

14. उक्त अपीलाधीन प्रकरणों में भी कर्नाटक राज्य के आदेशों के ही समान बिन्दुओं पर सुनवाई कर अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय **M/s BSNL vs. Union of India & ors. (2006) 145 STC 91** एवं माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में Telecommunication services पर विक्रय कर के आरोपण को अविधिक घोषित किया गया है, उसमें कोई त्रुटि नहीं की गयी है।

15. उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण के समान ही अन्य मामले में राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा **अपील संख्या 1227/2011/जयपुर वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड जयपुर** निर्णय दिनांक **6.9.2017** में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को अविधिक निर्णीत किया जा चुका है एवं माननीय खण्डपीठ के आदेश दिनांक 06.09.2017 के अनुसरण में ही राजस्थान कर बोर्ड की अन्य खण्डपीठ ने **अपील संख्या 1362/2012/जयपुर वाणिज्यिक कर अधिकारी,**

लगातार.....6

वृत–ए, जयपुर बनाम टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड जयपुर निर्णय दिनांक 16.4.2018 में राजस्व की अपीलें अस्वीकार कर, अपीलीय आदेश की पुष्टि की है तथा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को अविधिक माना गया है, अतः कर बोर्ड के निर्णय से कवर्ड है।

16. यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के कर निर्धारण दिनांक 04.05.2010 को सम्पूरित किये गये थे तब तक माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय **मैसर्स भारती एयरटेल लि. बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य (2011) 44 VST 486** प्राप्त नहीं हुआ था, अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विभिन्न निर्णयों की व्याख्या करते हुए करारोपण किया था, परन्तु अपीलीय निर्णय से पूर्व माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय का उक्त निर्णय दिनांक 25.02.2011 को पारित किया जा चुका था जिसकी प्रति प्रत्यर्थी की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उक्त अपीलों का निर्णय किया गया है। उल्लेखनीय है कि माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उक्त उद्धरित निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रासंगिक निर्णयों– (i) BSNL V/s Union of India & Ors. (2006 (3) SCC 1) तथा (ii) Tata Consultancy Service V/s State of Andhra Pradesh (2005) 1 SCC 371 को संदर्भित करते हुए एवं प्रश्नगत विषयों की विस्तृत व्याख्या करते हुए यह निर्णीत किया है कि दूरसंचार सेवाओं में प्रयुक्त प्रकाश ऊर्जा भारत सरकार के वित्त अधिनियम, 1994 से आच्छादित होने से यह संविधान की अनुसूची VII की सूची–II की प्रविष्टि 54 के अन्तर्गत शामिल नहीं है।

17. यह भी उल्लेखनीय है कि ये सभी कर निर्धारण आदेश कर्नाटक राज्य में पारित आदेशों के समान ही, उन्हीं बिन्दुओं पर पारित किये गये हैं, जिसके विरूद्ध माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा निम्न निर्णय दिया गया है –

ORDER

All the writ appeals and writ petitions are allowed to the following extent:-

(a) The **light energy** which is used as a carrier in **telecommunication service** for rendering service is covered by the Parliamentary Legislation i.e. the Finance Act, 1994 read with Section 65 (109-a). It does not fall within the Entry 54 of List-II of VII Schedule.

(b) The contract in question is not a composite contract. **It is an indivisible contract and a contract of service simplicitor.** There is no element of sale at all to any extent. It is not a contract of sales simplicitor as contended by the State.

लगातार.....7

(c) It is declared that the light energy (Artificially Created Light Energy – ACLE) is one form of electromagnetic waves. It is not **'goods'** as defined in Article 366 (12) of the Constitution of India or under Section 2(m) of the Karnataka Sales Tax Act, 1957 or Section 2 (15) of the Karnataka Value Added Tax, 2003. Consequently, there is **no sale of goods** as held by the Assessing Authority. Therefore they have **no power to levy tax.**

(d) The judgment of BSNL and other vs. Union of India and others reported in 2006(3) SCC 1 squarely applies to the facts of these cases.

(e) The orders passed by the learned Single Judge are set aside.

(f) The impugned re-assessment orders and Assessment orders passed by the Assessing Authority levying tax on light energy are set aside.

(g) Each of the petitioners/appellants shall be paid a costs of Rs.1,00,000/- (Rupees One Lakh) each and the same shall be deposited to the Advocates' Welfare Fund within one month from today.

18. फलतः माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के उद्धरित निर्णय दिनांक 25.02.2011 एवं राजस्थान कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय दिनांक 06.09.2017 एवं 16.4.2018 के आलोक में राजस्व द्वारा प्रस्तुत पांचों अपीलें अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश दिनांक 01.05.2017 की पुष्टि जाती है।

18. निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य